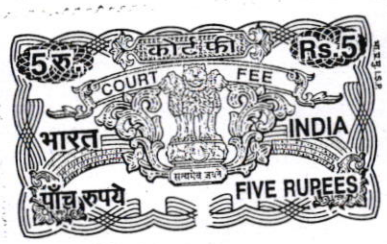

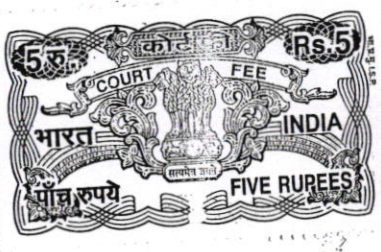

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरावलोकन

1. कमलेश दुबे
2. बृजमोहन दुबे पुत्रगण स्व. रामचन्द्र दुबे
3. कमला बाई पत्नी स्व. रामचन्द्र दुबे

निवासीगण बक्सरीया मौहल्ला विदिशा

विरूद्ध

वासुदेव पुत्र स्व. हरचन्दी दुबे

निवासी बक्सरीया जिला–विदिशा हाल –मुकाम

राजेन्द्र नगर बक्सरीया झील कुंऐ के पास विदिशा

सदस्य श्री एम.के. सिंह द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 988–2/2015 में पारित आदेश दिनांक 04–01–2016 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में ऐसी त्रुटि हुयी है जो प्रकरण के अभिलेख को देखने से ही स्पष्ट होती है तथा पुनरावलोकन के लिये पर्याप्त आधार निर्मित करती है.

2. यह कि, तहसील न्यायालय में आवेदकगण ने अनावेदक के साथ संयुक्त रूप धारित भूमि का स्वत्व के अनुसार बंटवारा करने हेतु संहिता की धारा–178 के अंतर्गत आवेदन दिया था.

3. यह कि, अनावेदक ने तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया कि संयुक्त रूप से धारित भूमि सर्वे क्रमांक 519, 520, 522/4, 525 एवं 527 का बंटवारा करने के साथ ही सर्वे क्रमांक 517/1 एवं 636/1 एवं 528 को भी प्रकरण में बंटवारे हेतु शामिल कर बंटवारा किया जाये.

4. यह कि, तहसील न्यायालय ने अनावेदक की आपत्ति को इस कारण निरस्त किया कि सर्वे क्रमांक 517/1 एवं 636/1 एवं 528 पर अनावेदक का नाम संयुक्त खातेदार के रूप में अंकित नहीं है अतः इन सर्वे क्रमांको को संहिता की धारा–178 के अंतर्गत बंटवारे हेतु प्रकरण में शामिल नहीं किया जा सकता तहसील न्यायालय ने संयुक्त रूप से धारित भूमि का स्वत्व के अनुसार बंटवारा किया.

5. यह कि, अनावेदक तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की एवं उसमें यही प्रार्थना की गयी थी कि उसे आपत्ति के जवाब, तर्क एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है अतः प्रकरण का गुण–दोषो के आधार पर निराकरण करने ... आदेश निरस्त किया जावें। अनुविभागीय अधिकारी ने

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु–659–एक/16 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.02.18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक की ओर से आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी–988–दो/15 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। 2/ संहिता की धारा किसी भी मामले का पुनरावलोकन किये जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता में किया गया है। जिसके अनुसार किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था या कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण। पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार दिये गये हैं उनका निराकरण तत्कालीन सदस्य द्वारा कारण दर्शाते हुए किया गया है। पुनरावलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शायी गई है जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शायी गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनरावलोकन का आधार नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य यह पुनरावलोकन प्रथम दृष्टया आधार हीन होने से अग्राह्य किया जाता है। प्रशासकीय सदस्य	